न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 41/2020 अपील/प्रतापगढ़ (GCMS 2020/00042)
पंजीयन दिनांक– 08.06.2020
निर्णय दिनांक– 30.09.2020

श्री राजु पिता थावरा मीणा, निवासी भाटखेडी (मालों की) तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..... **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री सत्यनारायण पिता भैरूलाल टांक, निवासी मानपुरा खालसा, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्रीमती चेतना पत्नि सत्यनारायण टांक, निवासी मानपुरा खालसा, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. सरकार जरिये, तहसीलदार, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अधिवक्ता :
श्री बी. एल. पालीवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री हुकम सिंह : अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 01/2019 निर्णय दिनांक 27.06.2019

निर्णय

दिनांक–30.09.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 01/2019 निर्णय दिनांक 27.06.2019 के विरूद्ध दिनांक 29.07.2019 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को

प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन के साथ पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 17.02.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 08.06.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व नियम 1970 विरूद्ध आवंटन मिसल नम्बर 43/2013 आदेश दिनांक 12.08.2013 के तहत निवेदन किया कि ग्राम राजपुरा खालसा पटवार हल्का कालाकोट, तहसील छोटीसादडी की आराजी संख्या 45 रकबा 0.84 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर 53 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभियान–2013 के दौरान रेस्पोडेंट को बिना किसी युक्ति–युक्त जांच राजनैतिक हस्तक्षेप एवं राजस्व कार्मिकों की मिली भगत से आवंटित की गई है। जबकि उक्त आवंटित भूमियों में से आराजी संख्या 53 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का विगत 40 वर्षो से सद्भाविक कब्जा–काश्त रहा है जिसके चलते अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत समय–समय पर कार्यवाही भी प्रस्तावित की जाती रही है। उक्त भूमि पर अपीलांट के सतत् कब्जे काश्त के चलते प्रार्थी की काबिज भूमि पर आवंटी द्वारा अवैधानिक आवंटन आदेश के आधार पर अपीलांट के कब्जे–काश्त की भूमि पर विवाद के चलते वर्ष 2016 के दौरान पटवार हल्का कालाकोट एवं तहसीलदार छोटीसादडी द्वारा निर्मित मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 06.04.2016 अनुसार उक्त भूमि पर वर्तमान में अपीलांट का कब्जा होना भी तस्दीक हुआ है। साथ ही निवेदन किया कि आवंटन की सहआवंटी (चेतना पत्नि सत्यनारायण) ने राजकीय सेवक होने तथा आवंटीगण के भूमिहीन श्रेणी के काश्तकार नहीं होने पर भी उसके पक्ष में किया गया है जबकि अपीलांट एक अनुसूचित जाति संवर्ग का गरीब काश्तकार है जिसको प्राथमिकता दिये बिना सक्षम आवंटीगण को आवंटन किया जाना न्याय एवं विधि के विपरीत रहा है। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सख्या 01/2019 निर्णय दिनांक 27.06.2019 से उक्त वर्णित प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया

जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:– *"बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेमों दिनांक 19.12.2018, स्थगन प्रार्थना पत्र, मियाद प्रार्थना पत्र, आवंटन आदेश मिसल संख्या 43/2013 दिनांक 12.08.2013, जवाब प्रार्थना पत्र 14(4) दिनांक 25.03.2019, जवाब स्थगन, मियाद प्रार्थना पत्र, नकल खातेदारी नामांतरकरण दिनांक 06.06.2018, नकल जमाबंदीया संवत् 2070–2073 नकल चाह नामांतरकरण संख्या 237 आराजी संख्या 57 रकबा 0.02 हैक्टेयर दिनांक 06.06.2018 लिखित बहस प्रार्थी दिनांक 19.06.2019 तथा विविध न्यायिक विनिश्चय क्रमशः* (2007) RRD 372 : (2007) 5 WLC *माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं* RRD 14.02.2009 Page No. 95 *राजस्थान सरकार बनाम कालुराम व अन्य तथा* RRD May 2007 *राजस्थान सरकार बनाम गोपाल उर्फ गोपी के साथ–साथ पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड दस्तावेजों का अध्ययन प्रकरण में प्रचलित विधियों के साथ किया गया।*

उपरोक्त विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि ग्राम राजपुरा खालसा पटवार हल्का कालाकोट, तहसील छोटीसादडी की आराजी संख्या 45 रकबा 0.84 हैक्टेयर तथा आराजी 50 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि पर वर्ष 2011 से आवंटी का कब्जा–काश्त रही है इस तथ्य की पुष्टि रिकार्ड पत्रावली में उपलब्ध नोटिस अंतर्गत धारा 91 LR Act *प्रकरण संख्या 355 दिनांक 30.08.2011 जो कि आवंटी सत्यनारायण के विरूद्ध जारी किया गया है से प्रमाणित होता है। वक्त आवंटन वर्ष 2013 के दौरान आवंटी/सहआवंटी श्रीमती चेतना टांक किसी भी राजकीय सेवा में नही रही है जिसकी पुष्टि रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नियुक्ति आदेश ग्राम पंचायत कालाकोट दिनांक 20.05.2017 से होती है।*

साथ ही आवंटित भूमि के निकट स्थित चाह आराजी संख्या 57 रकबा 0.02 हैक्टेयर आराजी संख्या 53 रकबा 0.28 के पास की भूमि होना आवंटी को किया गया आवंटन उचित प्रतीत करता है एवं आवंटी के पक्ष में निष्पादित नामांतरकरण संख्या 228 दिनांक 20.06.2016 गैर–खातेदारी एवं नामांतरकरण संख्या 236 दिनांक 06.06.2018 खातेदारी अधिकार से प्रमाणित होता है कि आवंटीगण द्वारा आवंटन

शर्तो की विधिवत पालना किये जाने से उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है।

जहॉ तक प्रार्थी को आवंटित भूमि आराजी संख्या 53 रकबा 0.28 में नियमित काश्त होने का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थी द्वारा रिकार्ड पत्रावली पर केवल वर्ष 2016 के दौरान धारा 91 की कार्यवाही के नोटिस प्रस्तुत किये है तथा पटवार हल्का कालाकोट की रिपोर्ट भी वर्ष 2016 की ही है, जो कि विधिक रूप से सद्भाविक नहीं है क्योकिं कि किसी भी भूमि के गैर–खातेदारी में दर्ज रहते हुए किसी अन्य पक्षकार (प्रार्थी) के पक्ष में धारा 91 का नोटिस जारी किया जाना त्रुटिपूर्ण रहा है परन्तु प्रकरण में यह भी तथ्य दर्शित रिकार्ड पाया गा है कि आवंटी को वर्ष 2013 में आवंटित भूमि की गैर–खातेदारी अधिकार जरिये नामांतरकरण दिनांक 23.06.2016 को प्रदान किये गये है अर्थात उक्त अवधि से पूर्व तक उक्त भूमि बाद आवंटन भी बिलानाम सरकार किस्म बंजड ही दर्ज रिकार्ड रहने से वर्ष 2016 के दौरान पटवार हल्का कालाकोट द्वारा निर्मित पर्चा–मौका दिनांक 06.04.2016 के आधार पर जरिये मिसल संख्या 01/16 के द्वारा धरा 91 की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए दिनांक 06.05.2016 को तहसीलदार, छोटीसादडी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध 50/– रूपये की शास्ति अध्यारोपित करते हुए बेदखली के आदेश पारित किया गया है।

किन्तु किसी भी राजकीय भूमि पर अवैधानिक कब्जे को प्राथमिकता से आवंटन/नियमन का आधार नही माना जा सकता है उसके लिए आवंटन नियमों में विहित अन्य प्रावधानों का समायोजना भी होना आवश्यक है तथा प्रार्थी द्वारा वक्त आवंटन किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति विरूद्ध आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई हो रिकार्ड पर नहीं रखी गई है। जिस कारण किसी आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने उपरांत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के प्रावधान लागु नहीं रह जाते है। ऐसी स्थिति का प्रार्थना पत्र किन्हीं भी बिन्दुओं पर सिद्ध योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है तथा आवंटी के पक्ष में आवंटित भूमि ग्राम राजपुरा खालसा पटवार हल्का कालाकोट, तहसील छोटीसादडी की

आराजी संख्या 45 रकबा 0.84 हैक्टेयर तथा आराजी 53 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि का आवंटन यथावत् बहाल रखा जाता है।

उक्त आदेश/निर्णय के क्रम में अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से श्री बी. एल. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री हुकम सिंह उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 16.09.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमों में वर्णित कथनों को दौहराते हुए बताया कि आवंटित भूमि आराजी संख्या 53 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का लगातार विगत 40 वर्षो से कब्जा–काश्त होते हुए भी आवंटन सलाहकार समिति ने उक्त भूमि की वस्तुस्थिति की जांच किये बिना ही रेस्पोडेंट/आवंटीगण के पक्ष में आवंटन किया जाना विधि विरूद्ध रहा है। जबकि उक्त भूमि पर आवंटन पूर्व से लगाकर आदिनांक तक आवंटी का सतत् कब्जा–काश्ता होने से अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती रही है। अपीलांट एक आर्थिक पिछडा अनुसूचित जाति संवर्ग का गरीब काश्तकार है जबकि आवंटीगण पूर्व से संपन्न कारोबारी–व्यवसायी होकर विविध भूमियों के सक्षम खातेदार है तथा राजनैतिक परिवार की पृष्ठ भूमि से संबंद्ध व्यक्ति है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक विनिश्चय RRD 86 Page No- 710 to 731 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बताया कि अपीलांट द्वारा अपनी अपील में मुख्य रूप से आक्षेप लगाये कि रेस्पोडेंट का आराजी संख्या 53 पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं था एंव भूमि अपने प्रभाव के अंतर्गत आवंटित की गई है तथा भूमिहीन नहीं होकर व्यवसायी है। उक्त भूमि पर कब्जा अपीलांट का होकर दिनांक 06.04.2016 की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट भूमि का आवंटन अपने पक्ष

में करानें का अधिकारी था, जबकि उपरोक्त किये गये समस्त कथन पूर्ण रूप से मिथ्या होकर मात्र द्वैषतावश तथा अवांछित लाभ प्राप्त करने की कुचेष्ठा से अंकित किये गये है। अतः अपील अपीलांट खारीज किये जाने बाबत निवेदन किया है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में आवंटन किया गया है वह पूर्ण रूप से विहित प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता हस्तगत प्रकरण में नहीं की गई है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार तथाकथित विवादित खसरा संख्या 53 से संलग्न आराजी संख्या 57 भी रेस्पोडेंट की रही है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लम्बे समय पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई, और अपनी अपील में किसी भी प्रकार से कथन नहीं किया कि आदेश की कब उन्हें जानकारी हुई एवं कब इस आवंटन आदेश की नकल के लिए आवेदन किय गया, कब नकल प्राप्त हुई, ऐसा कोई कथन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा नहीं किये गये। प्रस्तुत प्रथम अपील देरी से प्रस्तुत की गई। मौके पर रेस्पोडेंट का निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा विगत समय से रेस्पोडेंट द्वारा भूमि को उपजाउ बनाने के लिए काफी मेहनत की गई है एवं वर्तमान में भूमि को कृषि योग्य बनाकर खेती कर रहे है। अपीलांट द्वारा आक्षेपित किया गया है कि रेस्पोडेंट संख्या–2 राजकीय सेवा में रही, किन्तु रेस्पोडेंट संख्या–2 वर्ष 2017 में ग्राम पंचायत सहायक के रूप में पदस्थापित हुई तथा यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई होकर एक वर्ष के लिए दी गइ, अलावा इसके भी, आवंटन के वर्ष में किसी प्रकार से कोई राजकीय सेवा में श्रीमती चेतना नहीं रही। अतः अपील अपीलांट खारीज किये जाने बाबत निवेदन किया है।

राजकीय अभिभाषक द्वारा भी आवंटन नियमानुसार होना बताते हुए अपील अपीलांट खारीज किये जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में सुस्पष्ट है कि विवादित आराजी संख्या 45 रकबा 0.84 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 53 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि ग्राम राजपुरा खालसा का आवेटन रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.08.2013 को किया गया है। अपीलाण्ट उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त करवाये जाने के

लिए जिन आधारों का अपने आवेदन/अपील/बहस में निवेदन करता है, उन आधारों पर तथा खण्डन पर विवेचन किया जाना वांछनीय है।

प्रकरण में अपीलाण्ट का उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने के लिए प्रथम आधार तो यह है कि उक्त आवंटन आराजी नं0 53 पर आवंटी रेस्पोंडेण्ट का कोई कब्जा नहीं रहा है तथा इस भूमि पर वह काबिज है। देखने रेकर्ड से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट/प्रार्थी के नाम धारा 91 की कार्यवाही सर्वप्रथम वर्ष 2016 में की गई है जबकि विवादित आराजी का आवंटन आवंटी रेस्पोंडेण्ट को वर्ष 2013 में ही कर दिया गया है। वर्ष 2013 यानि आवंटन वर्ष या उसे पूर्व अपीलाण्ट प्रार्थी का कब्जा रहा हो, इस हेतु न तो कोई राजकीय नोटिस है, न ही पर्चा मौका इत्यादि से यह स्पष्ट होता है। आवंटन से पूर्व विवादित आराजीयात पर वह काबिज रहा हो, यदि क्षण मात्र के लिए यह माना भी जाये कि वह इस भूमि पर काबिज रहा है तो भी उसके द्वारा उक्त भूमि के आवंटन/नियमितिकरण बाबत् कोई आवेदन पेश किया गया हो, इस हेतु भी कोई साक्ष्य नहीं है। वर्ष 2013 में आवंटी रेस्पोंडेण्ट को भूमि आवंटन के बाद अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर कब्जा अवैध अतिक्रमण ही है तथा राजस्व अधिकारियों की लापरवाही रही है कि उन्होंने उक्त भूमि के आवंटन का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया। आवंटन को **Fraud** एवं **Misrepresentation** के आधार पर बताने का अपीलाण्ट का अन्य आधार यह रहा है कि आवंटी रेस्पोंडेण्ट किराणे की दुकान करता है तथा आयकर देता है, परन्तु इस हेतु न तो कोई साक्ष्य है, न ही कोई रेकर्ड पेश किया गया है। प्रकरण में आवंटी चेतना भी बवक्त इस आवंटन राजकीय कर्मचारी रही हो, इस हेतु भी कोई साक्ष्य नहीं है। आवंटन के वर्षों बाद उसकी राजकीय नियुक्ति हुई है। आवंटी रेस्पोंडेण्ट को सद्भावी काश्तकार नहीं माने जाने के लिए कोई रेकर्ड अपीलाण्ट द्वारा अपने भारसिद्ध दायित्व के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। जैसाकि अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचित किया है कि आवंटित भूमि के पास आवंटी की भूमि/चाह होना भी स्पष्ट है। अपीलाण्ट का यह उज्र कि आवंटी पात्रता नहीं रखता तथा अधिक सम्पन्न वर्ग का है, इस हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि आवंटी किस प्रकार अपात्रता धारित करता है। बवक्त आवंटन भेरूलाल टांक आवंटी सत्यनारायण के पिता व चेतना के ससुर सरपंच रहे हो, इस हेतु भी अपीलाण्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अपीलाण्ट के नियमन का कोई प्रकरण भी चला हो,

ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है। अपीलाण्ट के नाजायज कब्जे से बेदखली बाबत् भी रेकर्ड प्रस्तुत किया गया है। आवंटी रेस्पोंडेण्ट के नाम पेशशुदा भूमि की सूचना/जमाबंदियां जो कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसके आधार पर भी रेस्पोंडेण्ट आवंटी के पास नियमों में वांछित भूमि से अधिक भूमि होना प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में आवंटन से पूर्व वर्ष 2011 में आवंटी रेस्पोंडेण्ट के नाम धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही होना भी यह प्रमाणित करता है कि विवादित भूमि पर आवंटी रेस्पोंडेण्ट पूर्व से ही काबिज रहे हैं। अपीलाण्ट स्वयं को भूमिहीन एवं अनुसूचित जनजाति का काश्तकार एवं योग्यता व पात्रता होना बताता है परन्तु उसने अपने कब्जे के आधार पर कोई आवंटन/नियमन का आवेदन किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो नजीरें प्रस्तुत की हैं, वे इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है तथा जहां तक अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में आर.आर.डी. 1986 पेज 710 प्रस्तुत की जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी कानून का निर्वचन सकारात्मक रूप से उसके उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में विद्यमान कानून के तहत उसके उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाण्ट का कोई भी कारण नहीं बनता जिससे रेस्पोंडेण्ट आवंटी को आवंटित की गई भूमि को निरस्त किया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट प्रार्थी के समस्त उजरात को विवेचित करते हुए आख्यापक निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर